उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग—7

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 1992 ई०,

सं० 5863/38-7-92—1236-79—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय लेखापरीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992

भाग—एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखा-परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा नियमावली 1992 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिक वर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "ख" और "ग" के पद सम्मिलित हैं ।

3—परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी पद के सम्बन्ध में परिशिष्ट में इस रूप में उल्लिखित प्राधिकारी से है;

(ख) "मुख्य अभियन्ता" का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (लिपिकवर्गीय, लेखा परीक्षा और लेखा) कर्मचारी सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग—दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग—तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई मुख्यालय लिपिकवर्गीय—

(1) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक (मुख्यालय) और ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(2) कार्यालय अधीक्षक (मुख्यालय)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(3) ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(4) ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय)	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक/टंकक (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(5) कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्यालय)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

लेखा

(6) लेखाकार (मुख्यालय)	(एक) 50 प्रतिशत, आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(7) सहायक लेखाकार (मुख्यालय)	मौलिक रूप से नियुक्त लेखा लिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(8) लेखा लिपिक (मुख्यालय)	कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्यालय) और कनिष्ठ सहायक एवं खजान्ची (मुख्यालय लेखा) में से जिन्होंने [illegible] नियम के रूप में लेखाशास्त्र के ज्ञान सम्बन्धी में एक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की और जिन्होंने भर्ती के

के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(9) कनिष्ठ सहायक एवं खजान्ची (मुख्यालय—लेखा) — चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

लेखा—परीक्षा

(10) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक — मौलिक रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(11) लेखा परीक्षक — आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

आशुलिपिक

(12) वैयक्तिक सहायक — मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) और आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(13) आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) — मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(14) आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) — चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रशिक्षण अधिकारी, लघु सिंचाई, मुख्य

(लिपिक वर्गीय)

(15) कार्यालय अधीक्षक (मुख्य) — मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्य) और ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्य) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा ।

(16) ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्य) — मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्य) और कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्य) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में क्रमशः पांच वर्ष और दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(17) ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) — मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्य) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(18) कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्य) — चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(19) आशुलिपिक (मुख्य) — चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

लघु सिंचाई, प्रशिक्षण केन्द्र

लिपिक वर्गीय

(20) ज्येष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र) — मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र) में से जिन्होंने

	भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।
(21) कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
(22) आशुलिपिक (प्रशिक्षण केन्द्र)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
(23) सहायक लेखाकार (प्रशिक्षण केन्द्र)	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र) में से जिन्होंने एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद, पदोन्नति द्वारा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं ।
(24) पुस्तकालयाध्यक्ष	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मण्डल

लिपिक वर्गीय

(25) ज्येष्ठ सहायक (मण्डलीय) (26) ज्येष्ठ सहायक (जिला)	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक (मण्डलीय) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।
(27) लेखा लिपिक (मण्डलीय) (28) सहायक लेखाकार (मण्डलीय)	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक (मण्डलीय) में से जिन्होंने वाणिज्य में एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं ।
(29) आशुलिपिक (मण्डलीय)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
(30) कनिष्ठ सहायक (मण्डलीय)	चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा : परन्तु पन्द्रह प्रतिशत तक कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्यालय), कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्यालय-लेखा), कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र) और कनिष्ठ सहायक (मण्डलीय) के पदों की रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समूह "घ" के इच्छुक अर्ह कर्मचारियों में से समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती हैं ।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार—अर्हताएं

7—राष्ट्रिकता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—शैक्षिक अर्हता—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :—

पद	अर्हता
(1) लेखाकार (मुख्यालय)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।
(2) सम्परीक्षक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा परीक्षा और लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

पद	अर्हता
(3) सहायक लेखाकार (प्रशिक्षण केन्द्र) (4) लेखा लिपिक (मंडलीय) (5) सहायक लेखाकार (मंडलीय)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।

अनिवार्य—

पद	अर्हता
(6) कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्यालय) (7) कनिष्ठ सहायक एवं खजांची (मुख्यालय लेखा) (8) कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (नस) (9) कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र)	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) हिन्दी टंकण में [illegible] शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

अधिमान—

(10) कनिष्ठ सहायक (मंडलीय)— अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

अनिवार्य—

पद	अर्हता
(11) आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय) (12) आशुलिपिक (नस) (13) आशुलिपिक (प्रशिक्षण केन्द्र) (14) आशुलिपिक (मंडलीय)	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) हिन्दी आशुलिपि में अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति और हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

अधिमान—

अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

पद	अर्हता
(15) पुस्तकालयाध्यक्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी उपाधि के साथ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।

9—अधिमानी अर्हता—सीधी भर्ती के मामले में, अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :

(एक) जिसके पास नियम 8 में उल्लिखित किसी पद के सम्बन्ध में अधिमानी अर्हता हो : या

(दो) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, या सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायं, अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी—संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग 3 के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उनको दी जायेगी । चयन समिति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी । नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों से सीधे भी आवेदन-पत्र आमन्त्रित कर सकता है, जिन्होंने अपने नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत कराये हों । इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चिपकाने के साथ-साथ किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में एक विज्ञापन भी जारी करेगा । ऐसे सभी आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।

15—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(एक) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे ।

किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित न किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र न हो।

(तीन) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(चार) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणताक्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनकी सामान्य उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16—चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :

[क] नियुक्ति प्राधिकारी।

[ख] यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी।

[ग] नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़ी जाति का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके संगठन में उपलब्ध न हो तो, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उनके ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मंडलीय आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, जो इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता-क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अभ्यर्थियों के नाम रखने के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

[1] नियुक्ति प्राधिकारी .. अध्यक्ष

[2] नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अधिकारी .. सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पदोन्नति पात्रतासूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, उसे चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु जहाँ दो भिन्न-भिन्न पोषक संवर्ग हों, वहाँ :

(क) भिन्न-भिन्न वेतनमानों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

(ख) समान वेतनमान की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रतासूची में रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि वह संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19—नियुक्ति—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

20—परिवीक्षा—(1) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22—ज्येष्ठता—किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

24—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) परिवीक्षाधीन

इस नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष समर्थन—किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

29—व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 3(क), 4(2) और 22(2) देखिये]

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
		अस्थायी	स्थायी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई मुख्यालय लिपिक वर्गीय					
1	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	..	1	2000-60-2300-द०रो०-75-3200 रुपये	मुख्य अभियन्ता
2	कार्यालय अधीक्षक (मुख्यालय)	..	1	1	1400-40-1600-50-2300-द०रो०-60-2600 रुपये	तदैव

1	2	3	4	5	6	
3	ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय)	..	10	10	1400-40-1800-द0रो0-50-2300 रुपये	मुख्य अभियन्ता
4	ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय)	5	1	6	1200-30-1560-द0रो0-40-2040 रुपये	तदैव
5	कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (मुख्यालय)	..	19	19	950-20-1150-द0रो0-25-1500 रुपये	तदैव
	लेखा					
6	लेखाकार (मुख्यालय)	..	6	6	1400-40-1800-50-2300-द0रो0-60-2600 रुपये	तदैव
7	सहायक लेखाकार (मुख्यालय)	..	3	3	1400-40-1800-द0रो0-50-2300 रुपये	तदैव
8	लेखा लिपिक (मुख्यालय)	4	..	4	1200-30-1560-द0रो0-40-2040 रुपये	तदैव
9	कनिष्ठ सहायक एवं खजान्ची (मुख्यालय)	4	1	5	950-20-1150-द0रो0-25-1500 रुपये	तदैव
	लेखा परीक्षा					
10	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	2	..	2	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600 रुपये	तदैव
11	लेखा परीक्षक	4	..	4	1400-40-1800-द0रो0-50-2300 रुपये	तदैव
	आशुलिपिक					
12	वैयक्तिक सहायक	..	1	1	1640-60-2600-द0रो0-75-2900 रुपये	तदैव
13	आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय)	–	1	1	1400-40-1800-द0रो0-75-2900 रुपये	तदैव
14	आशुलिपिक (कनिष्ठ श्रेणी) (मुख्यालय)	1	3	4	1200-30-1560-द0रो0-40-2040 रुपये	तदैव
	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त					
	लिपिक वर्गीय					
15	कार्यालय अधीक्षक (वृत्त)	2	4 (1 पद आरक्षित)	6	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600 रुपये	सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई
16	ज्येष्ठ सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) (वृत्त)	2	4	6	1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200 रुपये	तदैव
17	ज्येष्ठ सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) (वृत्त)	1	..	1	1200-30-1560-द0रो0-40-2040 रुपये	तदैव

1	2	3	4	5	6	
18	आशुलिपिक (वृत्त)	4	5	9	1200-30-1560-द०रो०-40-2040 रुपये	सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई
19	कनिष्ठ सहायक एवं टंकक (वृत्त)	9	4	13	950-20-1150-द०रो० 25-1500 रुपये	तदैव
	लघु सिंचाई प्रशिक्षण केन्द्र लिपिक वर्गीय					
20	ज्येष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र)	—	1	1	1200-30-1560-द०रो० -40-2040 रुपये	निदेशक, प्रशिक्षण लघु सिंचाई और जल प्रयोग, [illegible] कार्यालय, लखनऊ
21	कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षण केन्द्र)	—	2	2	950-20-1150-द०रो० 25-1500 रुपये	तदैव
22	आशुलिपिक (प्रशिक्षण केन्द्र)	—	1	1	1200-30-1560-द०रो० 40-2040 रुपये	तदैव
23	सहायक लेखाकार (प्रशिक्षण केन्द्र)	—	1	1	1200-30-1560 द०रो० -40-2040 रुपये	तदैव
24	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	1	1400-40-1600-50 -2300-द०रो०-60-2600 रुपये	तदैव
	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मण्डल लिपिक वर्गीय					
25	ज्येष्ठ सहायक (मण्डलीय)	15	28	33	1200-30-1560 द०रो० 40-2040 रुपये	सम्बन्धित मण्डल के अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई
26	ज्येष्ठ सहायक (जिला)	13	117	130	1200-30-1560-द०रो०-40-2040 रुपये	तदैव
27	जिला लिपिक (मण्डलीय)	24	10	40	तदैव	तदैव
28	सहायक लेखाकार (मण्डलीय)	..	2	2	तदैव	तदैव
29	आशुलिपिक (मण्डलीय)	15	18	33	तदैव	तदैव
30	कनिष्ठ सहायक (मण्डलीय)	27	194	221	950-20-1150-द०रो० -20-1500 रुपये	तदैव

आज्ञा से,
के० आर० गाडी,
सचिव ।

टिप्पणी—राजपत्र दिनांक 4-12-93, भाग 1-क में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू०पी०—14 सा० (प्राम्य विकास)—23-3-94—2000 (मोनो)